

# डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया  
पीठासीन अधिकारी:- राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)  
प्रकरण सं. 244/2024

सुशील कुमार पुत्र श्री केवलराम जाति छीपा निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) - वादी

बनाम्

- केवलराम पुत्र श्री मनीराम जाति छीपा निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- अनुप कुमार पुत्र श्री केवलराम जाति छीपा निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- अनिल कुमार पुत्र श्री केवलराम जाति छीपा निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- प्रेमलता पत्नी स्व. श्री अरविन्द कुमार जाति छीपा निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- अनुराग पुत्र स्व. श्री अरविन्द कुमार जाति छीपा निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- अनुराधा पुत्री स्व. श्री अरविन्द कुमार जाति छीपा निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

- प्रतिवादीगण

वाद पत्र अ. धारा 88, 53 आर.टी.ए.

दिनांक :- 7.6.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरु हमारे बहाजरी श्री महावीर बेरड़ वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री कुलदीप मुण्ड वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 6 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व यह डिक्री दी जाती है कि:-

वादी सुशील कुमार पुत्र श्री केवलराम जाति छीपा निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-  
चक 4 एम.जे.डी. खाता सं. 24/15 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73  
प.नं. मु.नं. कि.नं.

170/185 20 11/0.253 है., 12/0.126 है., 13,14/0.253 है.प्र.,  
15/1/0.228 है., 15/2/0.025 है.,  
कुल 1.138 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

(ख) प्रतिवादी सं. 2 अनुप कुमार पुत्र श्री केवलराम जाति छीपा निवासी संगरिया तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-  
चक 4 एम.जे.डी. खाता सं. 24/15 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73  
प.नं. मु.नं. कि.नं.

170/185 20 12/0.127 है., 17,18,19/0.253 है.प्र.  
कुल 0.886 है. कृषि भूमि

(ग) प्रतिवादी सं. 3 अनिल कुमार पुत्र श्री केवलराम जाति छीपा निवासी संगरिया तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-  
चक 4 एम.जे.डी. खाता सं. 24/15 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73  
प.नं. मु.नं. कि.नं.

170/185 20 20/0.253 है.  
169/185 19 13/0.253 है., 14/0.126 है.,  
15/1/0.228 है., 15/2/0.025 है.,  
16/1/0.228 है., 16/2/0.025 है.,  
कुल 1.138 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

(घ) प्रतिवादीया सं. 4 प्रेमलता पत्नी स्व. श्री अरविन्द कुमार जाति छीपा निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

लगातार -- 2

सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया

क्र.सं.	क.सं.	मु.नं.	कि.नं.
169/185	19	6/1/0.228 है., 6/2/0.025 है., 7,8/0.253 है.प्र., 14/0.127 है.	
170/185	20	10/0.253 है.	
		कुल 1.139 है. मय गै.मु. कृषि भूमि	

मुताबिक बंटवारा प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 4 एम.जे.डी. के खाता सं. 24/15 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में 4.301 है. कृषि भूमि में से वादी को 1.138 है. कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 2 को 0.886 है. कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 3 को 1.138 है. कृषि भूमि का एवं प्रतिवादी सं. 4 को 1.139 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजब किया जावे तथा उक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 ता 4 का खाता अलग से कायम किया जावे।

नोट यदि डिक्लीत वादी/प्रतिवादी हक आराजी बैंक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्ली किया जावे।

निज ..... निल ..... मुब्लिक ..... निल ..... बाबत .....  
निल ..... खर्चा मुकदमें के मयशुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ..... को अदा करे।

बसबत मेरे दस्तखत एवं मोहर अदालत से आज दिनांक 7.6.2014 को जारी किया जाता है।

(राकेश कुमार मीना)  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी (रजिस्ट्रार),  
संगरिया